

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर गीना

अपील संख्या 23/24

तारीख रजजू- 25/09/24

1. महाराज सिंह पुत्र नवला जाति गीना निवासी ग्राम गेडी उग्र 36 साल निवासी गैडी तहसील वजीरपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर।

—रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 06/11/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 113/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गेडी के आराजी ख0नं0 1536 रकबा 0.50 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय उनवानी रूयेदार मिसल होने से काबिले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को मिसल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैंसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय से बार-बार कहता रहा कि पटवारी मौके पर नहीं गये हैं। भयंकर पानी बरसात का बरसा रहा है और खेतों में पानी भरा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप तोल के तहसील में बैठकर गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को पश्चात्तवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी विनाह पर कथित नोटिस शून्य है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय असंवैधानिक है और निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय में रकबा व पटवारी रिपोर्ट में रकबा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 126 दिनांक 25.10.2024 द्वारा उक्त भूमि गौके पर खाली होना अवगत कराया है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्त ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान् वकील अपीलार्थी द्वारा की गई नारा का खण्डन करते हुए पेशेकार को प्रदान करने में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई समूह का लक्ष्यता भी अपीलार्थीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अपीलार्थी द्वारा उक्त शूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था, साथ ही पेशेकार सरकार द्वारा अपीलार्थी खारिज करने हेतु विवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, तब पर मनन किया गया तथा पत्रावली का प्रतिक्रमण किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पत्रावली की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई समूह द्वारा शा(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिवारी हल्का द्वारा उक्त चांद अराजीगात पर सम्वत् 2080 में भी अतिक्रमण तथा बयान में भी के बौतिक रूप से बेदखल करना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत पर पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्त अरवीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संगकिशोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी